

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/विविध 01-92/2025

पटना, दिनांक :-

डा० कुमारी विभा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग-सह-प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के निलंबन अवधि दिनांक-04.06.2025 से 03.08.2025 तक कुल-61 दिनों की अवधि को कर्त्तव्य अवधि के रूप में तथा दिनांक-04.08.2025 से 28.12.2025 तक कुल-147 दिनों की अवधि को विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध 01-92/2025 - 359/17) पटना, दिनांक :- 24.03.26


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० कुमारी विभा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग-सह-प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।